समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री प्रेमनारायण शर्मा, ग्राम- पुरान थाना- करपी, जिला- जहानाबाद (वर्तमान अरवल) द्वारा एक आवेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया है कि अनुज्ञप्ति सं0- 768/ MLY/74- IV हैदराबाद (एफ0आर0न0-37/89 जहानाबाद) पर धारित एस0बी0बी0एल बन्दूक सं0-42623 जिला शस्त्र दंडाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक-139/शस्त्र दि0-30/12/2002 के आलोक में मेसर्स भारत शिकारी, शस्त्रागार, जी0बी0रोड, गया को बिक्री कर चुका हूँ। शस्त्र बिक्री के पश्चात् अब श्री शर्मा अपनी वृद्धावस्था के कारण अब शस्त्र क्रय करना नहीं चाहते हैं तथा स्वेच्छा से अनुज्ञप्ति समर्पित करते हुए रदद् करने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अनुज्ञप्तिधारी श्री प्रेमनारायण शर्मा के अनुरोध के आलोक में अनुज्ञप्ति सं0- 768/ MLY/74- IV हैदराबाद (एफ0आर0न0-37/89 जहानाबाद) को आर्म्स एक्ट-1959 के नियम-17 (3)(a) के तहत रदद् करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला दंडाधिकारी, जहानाबाद के आदेश दिनांक-18/02/2015 संचिका सं0- IX-1/2015

ह0/-

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,

जहानाबाद।

ज्ञापांक-....122..................../शस्त्र, जहानाबाद दि0-...08-04-2015

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस आयुक्त, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, करपी, जिला- अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री प्रेमनारायण शर्मा, ग्राम-पुरान थाना- करपी, जिला- जहानाबाद (वर्तमान अरवल) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सूचना तकनीकि प्रबंधक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- एक प्रति संचिका में।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,

जहानाबाद।